मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 01/05-06/2017, दिनांक 20.12.2017

राज्य सेवा परीक्षा 2018 / राज्य वन सेवा परीक्षा 2018

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा -2018 तथा राज्य वन सेवा परीक्षा -2018 हेतु विज्ञापन क्रमांक 05/2017 तथा 06/2017, दिनांक 12.12.2017 प्रकाशित किए गए है। उक्त विज्ञापन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2016 के अंक में प्रकाशित किए गए है।

02 उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किए जाते है :-

राज्य सेवा परीक्षा 2018

(1) **विकासखंड अधिकारी की पद श्रेणी में संशोधन** :- विज्ञापन की कंडिका -1 में उल्लेखित पद विवरण में यह पद, क्रमांक 12 पर तृतीय श्रेणी कार्यपालिक के रूप में उल्लिखित है। यह पद द्वितीय श्रेणी में क्रमांक 8 पर प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे उल्लिखित पदों का क्रम तदनुसार परिवर्तित होगा।

(2) **वर्दीधारी पदों की आयु सीमा छूट में संशोधन** :- मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, दिनांक 05 जून 2017 के अनुपालन में विज्ञापन के परिशिष्ट -क की कंडिका (एक) निम्नानुसार संशोधित की जाती है :-

(एक) गृह (पुलिस) विभाग, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, जेल विभाग तथा परिवहन विभाग के वर्दीधारी पदों हेतु -

क्र.	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु आयु सीमा
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित) वर्ग	28+05 = 33 वर्ष
2.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/ महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग)/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/ नि:शक्तजन	28+10 = 38 वर्ष

राज्य वन सेवा परीक्षा 2018

राज्य वन सेवा परीक्षा -2018 के परिशिष्ट- एक (एक) में वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु उल्लेखित आयु सीमा में छूट की व्यवस्था के स्थान पर उपरोक्त तालिका में उल्लेखित व्यवस्था संस्थित की जाती है।

टीप:- "राज्य सेवा परीक्षा 2018" तथा राज्य वन सेवा परीक्षा-2018 में विज्ञापित वर्दीधारी पदों में नि:शक्तजन हेतु पद आरक्षित नहीं है अत: उक्त पदों हेतु नि:शक्तजन हेतु छूट देय नहीं होगी।

03 विज्ञापनों की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगीं।

उप सचिव